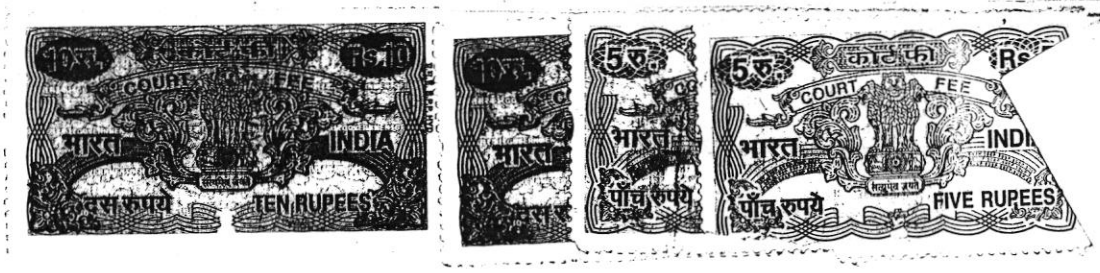

समक्ष माननीय सदस्य म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

निगरानी प्र.क्र.– / /16 विदिशा

R-4318-I-16

उदयभान सिहं आ. श्री बलवन्तसिहं
निवासी हनुमान चौक गजंबासौदा
जिला बिदिशा म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद गजंबासौदा
जिला बिदिशा म0प्र0 .....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान राजस्व निरीक्षक मण्डल–2 तहसील बासौदा जिला जिला विदिशा के प्रकरण क्र. 153/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 20/09/16 एवं सीमांकन कार्यवाही से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बासौदा जिला विदिशा स्थित भूमि सर्वे क0 460 रकवा 0.084 हेक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक के नाम पर दर्ज है । अनावेदक द्वारा आवेदक कि भूमि से लगे शासकीय खसरा क0 459, 461 एवं खसरा क0 462 के सीमांकन बावत् पत्र तहसीलदार महोदय को भेजा गया । अनावेदक द्वारा भेजे गये पत्र के आधार पर तहसीलदार महोदय ने सबधिंत हल्के के राजस्व निरीक्षक को उक्त भूमि का सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार महोदय द्वार दिये गये निर्देश के पालन में राजस्व निरीक्षक महोदय ने नियमानुसार कार्यवाही किये विना ही दिनांक 14/09/16 के सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार खसरा क0 461 एवं खसरा क0 462 के रबवा 0.600 हेक्टयर भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा होने का उल्लेख किया गया । विवादित सीमांकन की जानकारी आवेदक को दिनांक 18/10/16 को हल्का पटवारी से हुई जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा दिनांक 18/10/16 को विवादित

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– निग0 4318–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत–2 बासौदा तहसील बासौदा द्वारा प्र0क्र0 153/अ–12/2015–16 मं पारित आदेश दिनांक 20.9.16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत कर नगरपालिका के शासकीय कार्य हेतु वार्ड कं. 08 तोमर गार्डन के पास स्थित आराजी कं. 459, 461 एवं 462 बासौदा एवं बेदनखेड़ी के गोहा का सीमांकन करने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन पर से राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 17–8–16 को अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 351/1ख, 351/4 एवं 351/5 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया । उक्त आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पटवारी/गठित दल को सीमांकन हेतु आदेश दिनांक 17–8–16 को जारी किया गया । पटवारी ने कार्यवाही करते हुए सीमांकन प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया । राजस्व निरीक्षक ने आलोच्य आदेश द्वारा सीमांकन प्रमाणित किया है । इस आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि पटवारी द्वारा सीमांकन के बारे में आवेदक को एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को कोई सूचना नहीं दी गई जबकि सीमांकन कार्यवाही के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पूर्व सभी सरहदी काश्तकारों को सूचना दी जाना चाहिए थी उसके पश्चात सभी भूमिस्वामियों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की जाना चाहिए थी लेकिन इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में मौके पर सीमांकन कर सीमाओं से अवगत कराए जाने का उल्लेख किया है परंतु प्रकरण के साथ ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत यह प्रमाणित हो सके कि मौके पर सीमांकन किए जाने से पूर्व या सीमांकन की कार्यवाही के दौरा चतुर्सीमाओं पर निशान कायम किए गये हों । सीमांकन कार्यवाही संभावनाओं के आधार पर की गई है । इस कारण से राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । 4— अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि सीमांकन की कार्यवाही विधिवत हुई है । सीमांकन में नगरपालिका की भूमि पर आवेदक के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया है । पंचनामे से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय कई जनप्रतिनिधि तथा वार्ड नं. 24 एवं अन्य उपस्थित पक्षकारों की उपस्थिति में किया गया है । 5— उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है । अभिलेख के अवलोकन सेस स्पष्ट होता है कि पटवारी द्वारा दिनांक 14—9—16 को सीमांकन किए जाने की सूचना दिनांक 10—9—16 को आवेदक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बासौदा एवं एक अनय व्यक्ति काशीराम पुत्र पंचे को जारी की गई है । प्रकरण में जो पंचनामा संलग्न है उसके अवलोकनसे स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका के उपस्थित कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों के समक्ष की गई है । सीमांकन में नगरपालिका की भूमि पर आवेदक के अतिरिकत अन्य 11 व्यक्तियों का	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– निग0 4318–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवैध अतिक्रमण पाया गया है । उक्त स्थिति में यह कहना कि सीमांकन की कार्यवाही विधिवत नहीं की गई है, मान्य किए जाने योग्य नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में सीमांकन की जो कार्यवाही की गई है उसमें कोई अवैधानिकता नहीं है और सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थिति में आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है एवं यह पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रशा0 सदस्य	